

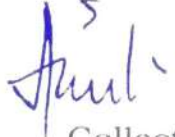
No. SML-SR-(57)FRA/2019- 931-32
Office of the Deputy Commissioner,
Shimla, District Shimla, H.P.

Dated: the Shimla-1, the

21st October, 2019.

CORRIGENDUM

In partial modification of this office reference No.SML-SR-(57)/2014-823 dated 29-11-2014, vide which the certificate under Forest Rights Act was issued in favour of the Assistant Engineer, Jalog Sub-Division, HPPWD for the construction of Ogli to Suma road, Tehsil Suni, District Shimla, the total area involved in the case may be read as 00-86-37 Hect. (as recommended by the Sub-Division Level Forest Right Committee, Shimla (Rural)) instead of 00-87-09 Hect.

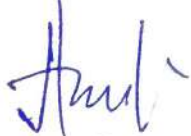

Collector,
Shimla, District Shimla,

Endst. No. SML-SR-(57)FRA/2019

Dated 21st October, 2019.

Copy to:-

1. The Sub-Divisional Officer (Civil)-cum-Chairman Sub-Division Level Forest Rights Committee, Shimla (Rural), District Shimla for information.
- ✓ 2. The Assistant Engineer, Jalog Sub-Division, HPPWD, Jalog, for information and necessary action.


Collector,
Shimla, District Shimla,

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014

323

Dated: 29/11/2014

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-87-09 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Assistant Engineer, Jalog Sub-Division, HP PWD, Jalog for construction of Ogli to Suma road Tehsil ^{Sumi} Shimla-Rural (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Forest Division in Shimla Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-87-09 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above




(Dinesh Malhotra)
District Collector, Shimla
District Collector Shimla
Shimla District (H.P.)
(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT SHIMLA (H.P.)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Shimla District , constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri. Dinesh Malhotra, I.A.S., Deputy Commissioner, Shimla on 18-11-2014 at 11.30 AM at Shimla in which the application claiming rights in Mauja Suma area measuring 0-87-09 Hect for the construction of Ogli to Suma road Tehsil ^{Suma} ~~Shimla-Rural~~ of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Shimla-Rural Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Shimla


Deputy Commissioner-cum- Chairman
District Level Committee
2

Dated: 18-11-2014

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 18-11-2011 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI DINESH MALHOTRA, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

The following members of the District Level Forest Right Committee were present

- | | |
|---|-------------|
| 1. Shri D.K. Rattan, Addl. District Magistrate, Shimla | Member Secy |
| 2. Shri V.K. Sharma, IFS, Divisional Forest Officer, Shimla | Member |
| 3. Dr. Neeraj Kumar, IFS, Divisional Forest Officer, Theog | Member |
| 4. Shri Sunder Singh, Member, Zila Parishad (Nerwa Ward) | Member |

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total 19 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

Sub-Division Theog:-

The following 08 cases have been received from the Sub Divisional Committee Rohru and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o Link Road to Chewar Nallah to Kuddi Mohli ,
2. C/o Agriculture Extension Office building at Kalbog,
3. C/o Link Road Kuddu Nallah to Paneda Kadewali,
4. C/o Link Road Kathera Nallah to Chewar Kojubbar
5. C/o Link Road Tehtoli to Gahlera,
6. C/o 22 KV Controlling Sub-Station at Kalbog
7. C/o Link Road Melathi Kari Nal Kalbog
8. C/o Sub Market Yard at Thermati

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Theog has recommended the cases on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

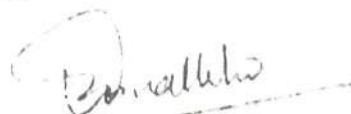
Sub-Division Shimla-Rural

The following 11 cases have been received from the Sub-Divisional Committee Shimla-Rural and placed before the District level Forest Right Committee:-

1. C/o Link road from Ogli to Suma
2. C/o Dharogra Dalog-Ghatti road
3. C/o Link road Shalva (Meha) to Dargot
4. C/o Link road to Village Pandon
5. C/o PHC Building at Dewla
6. C/o Link road Khaneri Jimri to Reog
7. C/o PHC Sharda
8. C/o Govt. Sr. Sec. School Rajhana
9. C/o Subji Mandi at Tutu
10. C/o Police Post at Jalo
11. C/o N/H -4-lane

The Sub Divisional Forest Rights Committee of Sub Division Shimla-Rural has recommended the cases on the report/ recommendation of the Village level Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of above road/ project. It has been recommended by the Sub Division Committee that No claim is pending under forest right for diversion of forest land involved in the above roads/project. Therefore, the District Level Committee also recommended the cases under the Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, as there is No claim pending in respect of the above proposal for diversion of forest land in Tehsil Shimla-Rural, District Shimla. Sri Surinder Singh, Member has raised objection that the FRA cases of whose concerned DFOs are not present should not be considered. As none present from DFO Rohru, Ketgarh & Rampur, therefore cases of their respective jurisdiction could not be discussed.

The meeting ended with vote of thanks.


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

OFFICE OF THE SDO CIVIL), Shimla (R)
DISTRICT Shimla (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the Sub-Division level Committee of Shimla (R) Sub- Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. Grian Sagar Negi SDO(Civil) Shimla (R) on 08-07-14 at 11-00 AM/PM at Shimla (Place) in which the application(s) claiming rights in U-13 Ogli Suma forest areas under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee of Suma Baji Gram Sabha discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Recommended / not Recommended)</u>
1. <u>Assistant Engineer</u>	401/367/1, 1/1, 1/2, 20/1, 50/1, 49/1, 69/2, 69/3, 69/4
2. <u>Engineer</u>	73/1, 74/1, 76/1, 76/2, 119/1, 126/1, 215/1
3. <u>H.P.D.D. Talog</u>	Total Area 0-86-37.

Place:

Date :

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Sub-Division level Committee,
Shimla Sub-Division.

वन अधिकार समिति २

स्व. ग्राम सुभा-वागी डा. जलौग त. सुनी जिला मिर्जापुर 17/10/19 H.P.

प्रस्ताव संख्या 12 निम्नलिखित P.W.D. सड़क जलौग जलौगली से

सुभा-वागी तक के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए

आज दिनांक 20-8-2019 को वन अधिकार समिति राजस्व गांव सुभा-वागी महाल जलौग सराज की बैठक समिति अध्यक्ष वेद व्यास की अध्यक्षता में हुई प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया कि निम्नलिखित सड़क जलौगली जलौगली जलौगली से सुभा-वागी के लिए स्वसरा नं० प्रति संलग्न के अनुसार छुट्टी का स्थानान्तरण। अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जावे उसके सम्पर्क आगे का निम्नलिखित अति आवश्यक है जिसमें वन अधिकार समिति को कोई भी आपत्ति नहीं है अतः प्रस्ताव को प्रति प्रधान गांव पंचायत जलौगली को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

अचिव T. Shandil

वन अधिकार समिति

राजस्व गांव सुभा-वागी

(धौला राग डा. 810 मि. प्रस्ताव सुभा)

अध्यक्ष

प्रधान

वन अधिकार समिति

राजस्व गांव सुभा-वागी

(वेद व्यास डा. 810 मि)

किरपाराज जलौग

राजस्व स्वसरा नं० व दोग मुची संलग्न है।

निरूपित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा सुमावली

(3)

प्रतिलिपि प्रस्ताव ।

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक _____

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा सुमा की बैठक आज दिनांक 20-8-2014

को 3-00 बजे स्थान सुमावली में

श्री/ श्रीमति वेद चण्ड की अध्यक्षता में की गई जिसमें वक्त

गाव/ गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों से अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत _____

जंगल/ वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें

** U-13 सोनखी खुर्द के निर्माण के लिए 7-86-37 हैक्टयर वन के उपयोग भूमि की मजूरी प्रस्तावित है ।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची की श्री/ श्रीमति नि. अरुण P.W.D. अरुण अरुण सोनखी खुर्द जंगल/ वन क्षेत्र में नि. अरुण सुमा के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार सही पाया गया/ सही नहीं पाया गया । तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/ तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है ।

स्थान _____

दिनांक _____



ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत अरुण 4.8.8

**** प्रोजेक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग का अनुमति दी जानी है ।**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा

प्रास्ताविका प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ५.

दिनांक

२१-८-२०१५

२१-८-२०१५

को बैठक आज दिनांक २१-८-१५ को

१. बजे स्थान डोणवी में ग्राम समिति डोणवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें नि. ० अडक P.W.D. अडक डोणवी की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत ०-८६-३५ जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें P.W.D. विभाग द्वारा नि. ० अडक P.W.D. अडक डोणवी के निर्माण के लिए ०-८६-३५ हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1	<u>डोणवी अलोणसुग</u>	<u>डोणवी</u>	<u>०-८६-३५</u>
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावा / इन दावों का पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावा / इन दावों का निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार ०-८६-३५ जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान डोणवी
दिनांक २१/८/२०१५



अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्राजैक्ट कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

(5)

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम पंचायत

डोंगली

ग्राम सभा

विकास खण्ड

जिला

डोंगली

(हि0प्र0)

प्रतिनिधी प्रस्ताव

दिनांक 21-8-2014

प्रस्ताव संख्या 7

गणपति 7/8

विषय: नि० ७७७ P.W.D. सड़क निर्माण हेतु P.W.D. की जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-86-37 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम पंचायत डोंगली

21-8-2014

बजे, स्थान

डोंगली

की बैठक आज दिनांक

की गई, जिसमें P.W.D.

विभाग/ संस्था को सड़क निर्माण हेतु P.W.D.

जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-86-37 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

अध्यक्ष

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिनियम के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 0-86-37 हैक्टेयर वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा 21-8-2014 की सहमति दी जाता है।

स्थान

दिनांक



अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

ग्राम पंचायत



कार्यालय ग्राम पंचायत.....

विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील चुन्नी, जिला शिमला (हि.प्र.)

काग दिनांक ३१-३-२०१५ को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत.....

स्थिति/विशेष पैक प्रस्ताव/उप-प्रस्ताव श्री/श्रीमती..... की की

जमिन में सम्मन हुई। उपस्थिति..... रही तथा निम्न कार्यवाही जमा में आई गई।

प्रस्ताव नं.

प्रतिलिपि

दिनांक ३१-३-२०१५

विषय - निजीय सड़क १५७७ सड़क अधिनियम १९८८ के तहत चुन्नी वार्ड
 ८४ के लिए आवासीय-उद्योग पट्ट नीर - आवासीय-उद्योग
 उपरोक्त विषय नीर - लच्छी की गड - लच्छी उपखण्ड उपरोक्त
 के निजीय विषय जमाई-आवासीय विभाग उपरोक्त सड़क का
 निजीय चरवाही है जो जमाई पंचायत का कोई उपखण्ड
 नहीं है। आवासीय-उद्योग पट्ट नीर निजीय चरवाही
 परमाणु सड़क सड़क के लिए नीर व लच्छी की गड

उपरोक्त सड़क
 जमाई

कार्यालय ग्राम पंचायत

झांगली

विकास खण्ड बल्लभपुर तहसील जिला शिमला (हि.प्र.)

आज दिनांक 19-3-2014

का ग्राम सभा/ग्राम पंचायत **झांगली** के

अधीनवाला

पुष्प

दिनांक 19/3/2014

प्रस्ताव संख्या-9

विषय - राजपुर गांव हेतु वन आगमि का डाकन वॉर - वीरक में उपरोक्त विषय वॉर - वॉर की गई - वॉर उपरांत गांव वॉर में वनाई गई वन आगमि मिशन प्रकार से है।

क्र.सं.	आगमि	नशाकत का नाम	पिता/पति का नाम	गांव	पद	मोबा.सं.
1.	मोहन प्रकाश	श. पुष्प दास	झांगली	आहमदा	96255-1422	
2.	झांगली कुमार	श. दिवान - वन्द	झांगली	आचिव	981713468	
3.	मोहन सुमिता देवी	श. मेहर - वन्द	4			
4.	मोहन लाल	श. गीत - लाल	4			
5.	मोहन लाल	श. लाल	4			
6.	मोहन राम	श. खिल्ल	4			
7.	मोहन प्रकाश	श. लाल राम	4			
8.	मोहन राम	श. लाल राम	4			
9.	मोहन राम	श. लाल राम	4			
10.	मोहन सिंह	श. लाल राम	4			
11.	मोहन देव	श. लाल राम	4			
12.	मोहन लाल देवी	श. लाल राम	4			
13.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
14.	मोहन देवी	श. लाल राम	4			
15.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
16.	मोहन सिंह	श. लाल राम	4			
17.	मोहन वन्द	श. लाल राम	4			
18.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
19.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
20.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
21.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
22.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
23.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
24.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
25.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
26.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
27.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
28.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
29.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			
30.	मोहन लाल	श. लाल राम	4			

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

विकास खण्ड बसन्तपुर, तह. मुन्गी, जिला शिमला (हि.प्र.)

अ. व. देनाक

को. ग्राम सभा / ग्राम पंचायत

 $\frac{d}{dt}$

विश्व वैदिक प्रशान / उप-प्रधान श्री / श्रीमती

ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਧਨ

17212

इसी तथा विषय संबंधी कथा में आते हैं।

दिनांक

[illegible]

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

सिक्कान् स्वयं कनकापुर, तह. सुन्नी, जिला शिमला (हि.प्र.)

आम दिनांक वन/ग्राम सभा/ग्राम पंचायत फ

आचार्य/विधि/सहायक प्रधान/उप-प्रधान श्री/श्रीमती.....

न समान है। उपरिधति रही तथा निम्न कार्यवाही आता में कार्य भरी।

दिनांक.....

3. 3. 1. 2.

[illegible]

पुस्तिका. ५००
५००
५००